न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 07 / 2019

1 देवकरण पुत्र धन्नाराम दत्तक पुत्र किशनाराम।
2 रामसिंह पुत्र माला।
3 नाहरू पुत्र माला।
4 सुरेन्द्र पुत्र सुभाषचन्द्र समस्त जाति जाट निवासीगण खतेहपुरा तहसील व जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 ओमप्रकाश पुत्र जगुराम।
2 गुगन पुत्र जगुराम।
3 रघुवीर सिंह पुत्र जगुराम।
4 मृतक मु. धापा स्त्री जगुराम समस्त जाति जाट निवासीगण जाखड़ो की बास तहसील व जिला झुंझुनू।
5 परमेश्वरी स्त्री सुभाषचन्द्र।
6 सुमेर पुत्र सुभाषचन्द्र समस्त जाति जाट निवासीगण खेतहपुरा तहसील व जिला झुंझुनू।
7 पंजाब नेशनल बैंक शाखा झुंझुनू जरिये शाखा प्रबन्धक।
8 तहसीलदार झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट 1955
अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री दिनांकित 24.10.2018
बअदालत उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू मुकदमा उनवानी
देवकरण वगैरह बनाम ओमप्रकाश वगैरह मुकदमा नम्बर
196/2011 दावा बाबत घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती तथा
स्थाई निषेधाज्ञा।

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पूनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मोहम्मद फारूक, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 27.04.23

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 196/2011 में पारित निर्णय दिनांक 24.10.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने भूमि खसरा नम्बर 27 ग्राम जाखड़ो बास के सन्दर्भ में दावा बाबत घोषणा रिकार्ड दुरूस्ती तथा स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज किया गया। इससे व्यथित होकर वादी अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में पत्रावली में तनकीयात कायम नही हुई, साक्ष्य नही ली गई, पत्रावली बहस हेतु नियत नही थी। विचारण न्यायालय की आदेशिका में वादी को अनुपस्थित दर्ज करते हुये प्रतिवादी की एकपक्षीय बहस सुनकर गुणावगुण पर वादी का वाद खारिज किया गया है। विचारण न्यायालय का यह निर्णय विधि के प्रावधानों के विपरित है। विधि अनुसार वादी एवं उसके अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने पर वाद वादी अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाना चाहिए था। विचारण न्यायालय ने सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। अत अपील स्वीकार कर अनुतोष के अनुसार दावा डिक्री किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि वकील वादी एवं वादी स्वंय विचारण न्यायालय में उपस्थित नही थे। वादी के विरूद्व विचारण न्यायालय द्वारा एकपक्षीय आदेश देने पर आदेश 9 नियम 8 व आदेश 9 नियम 9 में विधिक उपचार दिया हुआ है। इस बिन्दु पर अपील पोषणीय नही है। अपीलांट द्वारा अपील मेमों में अनुतोष में प्रकरण रिमाण्ड करने का अनुतोष चाहा गया है जबकि वर वक्त बहस अपीलांट द्वारा दावा डिक्री करने का निवेदन किया गया है। अपीलांट के स्वंय के कथन विरोधाभाषी है। विचारण न्यायालय में वादी द्वारा पैरवी नही करने पर विचारण न्यायालय ने गुणावगुण पर निर्णय पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। अपीलांट ने प्रक्रियात्मक बिन्दु पर कथन किये है। प्रकरण के गुणावगुण पर कोई बहस नही की है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में पत्रावली में तनकीयात कायम नही हुई, साक्ष्य नही ली गई, पत्रावली बहस हेतु नियत नही थी। विचारण न्यायालय की आदेशिका में वादी को अनुपस्थित दर्ज करते हुये प्रतिवादी की एकपक्षीय बहस सुनकर गुणावगुण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

पर वादी का वाद खारिज किया गया है। विचारण न्यायालय का यह निर्णय विधि के प्रावधानों के विपरित है। विधि अनुसार वादी एवं उसके अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने पर वाद वादी अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाना चाहिए था। विचारण न्यायालय ने सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय एवं डिक्री को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिक प्रक्रिया की पालना कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.05.2023 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 27.04.23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर